(9)

OA-65/2026/EZ

दिनांक: 14/10/2025

सेवा में,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण महोदय,
पूर्वी क्षेत्रीय पीठ, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल - 700156

विषय: झारखण्ड राज्य के पाकुड़ जिले में सरकारी सिंचाई नहरों पर पश्चिम बंगाल के व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं कृषि पर दुष्प्रभाव।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि झारखण्ड राज्य के पाकुड़ जिले के निवासी/किसान, आपका ध्यान एक गंभीर पर्यावरणीय एवं कृषि संबंधी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

पाकुड़ जिले में किसानों की खेती की सिंचाई हेतु वर्षों से सरकारी नहरें बनी हुई हैं। इन नहरों के जल का उपयोग कर किसान सफलतापूर्वक धान, पटसन (जूट), प्याज, लहसुन और अन्य फसलें उगाते आ रहे हैं। यह नहरें क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

हालांकि, अत्यंत दुख का विषय है कि पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ दमनकारी व्यक्तियों द्वारा पाकुड़ जिले के चाँचकी पंचायत से चांदपुर बॉर्डर (पश्चिम बंगाल की सीमा तक) जाने वाली सड़क के किनारे दोनों तरफ की नहरों पर अवैध अतिक्रमण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इस अवैध कब्ज़े के कारण नहरों का बहाव अवरुद्ध हो रहा है, जलभराव की क्षमता घट रही है और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं और कृषि उपज में भारी गिरावट आ रही है। यह अतिक्रमण जल स्रोत के प्राकृतिक प्रवाह और

S.O. Judicial

NGT, EZB, KOLKATA
Receipt No. NGT/EZB/Kol/441
Date 28/10/2025

सार्वजनिक उपयोग के मार्ग को बाधित कर रहा है, जो पर्यावरण (जल स्रोत और भूमि उपयोग) के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

इस संदर्भ में स्थानीय लोगों एवं किसानों द्वारा कई बार जिला प्रशासन को लिखित शिकायतें दी गईं और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी यह मुद्दा उठाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर जाँच भी हुई, किंतु खेद है कि अभी तक यह अवैध अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह समस्या जस की तस बनी हुई है और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

अतः, आपसे विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए इस गंभीर मामले का संज्ञान ले। आपके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे तुरंत इस सरकारी नहर की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराएं, ताकि पाकुड़ जिले के किसानों को उनका वर्षों पुराना सिंचाई का अधिकार पुनः प्राप्त हो सके और पर्यावरण को हो रहे इस नुकसान को रोका जा सके।

आपकी शीघ्र और उचित कार्यवाही के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे।
आपसे निवेदन है कि कृपया इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए

1. संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को निर्देशित करें कि उक्त नहर से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए,
2. दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए,
3. एवं नहर की प्राकृतिक स्थिति पुनः बहाल करने हेतु पर्यावरणीय संरक्षणात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

सधन्यवाद।

भवदीय,

अनुलग्नक: (पूर्व शिकायत पत्र या प्रशासनिक जाँच रिपोर्ट है)

1. पूर्व में जिला प्रशासन को दिए गए शिकायत पत्र की प्रति।
2. प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबर की प्रति ।

आपका विश्वासी
नाम- सुरेश अग्रवाल ,पाकुड़
सामाजिक कार्यकर्त्ता

हस्ताक्षर:- 14/10/2025

Suresh Kumar Agrawal

पता:- बलिहारपुर, पाकुड़, झारखंड
मोबाइल संख्या- **7050134888**

अंचल कार्यालय, पाकुड़।

ज्ञापांक [illegible] / अं0 पाकुड़ दिनांक [illegible]

प्रेषित,

1. श्री राकेश कुमार भगत,
   तत्कालिन रा0उ0नि0,
   हल्का सं0–08।
2. श्री विवियन विवेक तिर्की,
   रा0उ0नि0, हल्का सं0–08।
3. श्री जंबान हुसैन,
   अंचल अमीन,
   अंचल पाकुड़।

विषय– चाँचकी से चाँदपुर होते हुए रोड किनारे कैनाल की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पाकुड़ के ज्ञापांक–355 / ज0स0, दिनांक–20.12.2024 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में तत्कालिन राजस्व उप निरीक्षक, श्री राकेश कुमार भगत, हल्का सं0 08 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि चाँचकी से चाँदपुर होते हुए रोड के [illegible] कैनाल है जिसमें पानी बहता है। उसमें मिट्टी और डस्ट भरकर समतल कर दिया गया है। समतल किए गए भूमि पर कुल 22(बाईस) व्यक्तियों द्वारा आधा कच्चा एवं पक्का मकान बना कर उक्त भूमि का अतिक्रमण किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में भूमि का मौजा, खाता संख्या, दाग संख्या, रकबा एवं भूमि के किस्म का उल्लेख नही किया गया है। इस कारण अतिक्रमित भूमि की सही पहचान करने में कठिनाई हो रही है, साथ ही उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने में भी कठिनाई होना तय है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमित भूमि के संबंध में संयुक्त रूप से स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन(ट्रेस नक्शा सहित) 07 [illegible] करेंगे। ताकि भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में [illegible]

विश्वासभाजन

ह0/-

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।

द्वारा :— प्रभारी अंचल निरीक्षक, पाकुड़।

विषय :— पाँचकी से चाँदपुर होते हुए रोड किनारे की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग :— ज्ञापांक - 784/रा०, पाकुड़, दिनांक - 31.07.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आदेशानुसार जाँच किया एवं पाया कि पाँचकी से चाँदपुर होते हुए रोड के दोनों तरफ जो नयापुरा जलजमाव होता है, जिसमें पूर्व में जल-प्रवाह होता था, वर्तमान में इसमें मिट्टी एवं उसमें भराव किया गया है, जो उसके ऊपर आधा कच्चा एवं पक्का दुकान बनाया गया है, जिस कारण उक्त जलजमाव में जो जल-प्रवाह था वह बंद हो गया है एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उक्त जल का प्रयोग सिंचाई हेतु करने में असमर्थ हैं; जाँच के क्रम में निम्न व्यक्तियों द्वारा मिट्टी भर कर उक्त जल-प्रवाह को अवरुद्ध किया गया है :—

क्र०	व्यक्तियों का नाम	पिता/पति का नाम	साकिन	अभियुक्ति
01.	देव दास मदन दास	स्व० सुधीर चन्द्र दास स्व० बीन चन्द्र दास	चाँदपुर चाँदपुर	
02.	हाजि मेरु शेख	स्व० असजद अली	शेखपुर	
03.	हबिबुर रहमान नासिर शेख आसिबुल शेख	स्व० फरीद शेख	चाँदपुर	
04.	हसीम अकबर	नुर इस्लाम	बिलेकापाड़ा	
05.	असादुल शेख	स्व० अहमद अली	शेखपुर	
06.	मो० आसिबुल इस्लाम	जान मोहम्मद	शेखपुर	
07.	जुलु शेख	अबुद अली	शेखपुर	
08.	आसानुल शेख	लतिफुल शेख	शेखपुर	
09.	अमृत चन्द्र दास	स्व० मदन चन्द्र दास	चाँदपुर	
10.	[illegible] शेख	लिसरूल शेख	चाँदपुर	
11.	आरफ अली	अब्दुल शेख	अन्तादीपा	
12.	नवाब अली	मुस्ताक शेख	शेखपुर	
13.	[illegible] शेख	सिकंदर शेख	चाँदपुर	

Scanned with CamScanner

	...ा शेख	मो० इस्माईल शेख	धाँवडी
	...मद शेख	हैबातुल शेख	महेशनगर
	मो० ज़ियाउल रहमान	अब्दुल करीम	चाँदपुर
	मो० जयदुल रहमान	अब्दुल करीम	चाँदपुर
18.	मो० नाजिबुल हक	मो० महबूब शेख	मनसोपा (पूर्वी)
19.	प्रकाश जैन (Sundaram Oil) (Petrol Pump)	विरेन्द्र कुमार जैन	हरिणडांगा बाजार (पाकुड़)

उपरोक्त क्र०सं०- 01 से 15 के व्यक्तियों का भूमि में अतिक्रमण वाद के तहत नोटिस दिया गया था तथा उक्त भूमि को अतिक्रमण-मुक्त करने हेतु सूचना की गई थी एवं क्र०सं०- 16 से 19, में, कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उक्त भूमि को अतिक्रमण किया गया है। विभिन्न गाँवों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। अंचल अमीन द्वारा नजरी-नक्शा भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। अतिक्रमित भूमि अनाबादी खाता, जिला परिषद बोर्ड तथा भू-अर्जित की गई भूमि से संबंधित है एवं भू-अर्जित की गई भूमि से संबंधित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अत: उपरोक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाने की अनुशंसा की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

[signature] 22/08/2025 [signature] 22/08/25 अं० अ० नि०

विश्वासभाजन

[signature]

22.08.2025

22-08

अंचल :- पाकुड़, थाना :- पाकुड़, जिला :- पाकुड़।

क्र०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	दाग नं०	खतियानी रकवा	किस्म	अभियुक्ति
1	अजना	162	645	1622	01-02-01		
2			159	1623	01-19-06	बाड़ी आउल	
3			399	1624	00-12-14	बाड़ी आउल	
4				1627			
5			16	1628	00-08-09	बाड़ी आउल	
6			212	1620	00-13-18	बाड़ी आउल	
7			559/7	1475	00-19-19	बाड़ी आउल	
8			248	1476	01-00-11	बाड़ी आउल	
9				1621			
10			647	1621/1795	01-09-00		
1	चांदपुर	161	228	1268	00-11-09	बाड़ी दोयम	
2			127	1269	01-01-16	बाड़ी आउल	
3			161	1270	00-18-15	बाड़ी आउल	
4			267	1271	00-15-15	बाड़ी आउल	
5			158	1272	00-18-13	बाड़ी दोयम	
6			267	1273	00-19-07	बाड़ी आउल	
7			260	1274			
8			1	1275	00-11-10	बाड़ी दोयम	
9			260	1276	00-02-08	बाड़ी दोयम	
10			313	1277	00-06-13	पुरातन पतित	
11			126	1204	00-17-11	बाड़ी आउल	
12			228	1205	00-15-15	बाड़ी दोयम	
13			313	1206	01-08-09	बाड़ी दोयम	
14			296	1281	01-05-08	बाड़ी दोयम	
15			186	1286			
16			209	1287	00-02-08	बाड़ी दोयम	
17			167	1288	00-03-13	बाड़ी दोयम	
18			178	1291	00-01-04	बाड़ी दोयम	
19			199	1292	00-01-04	बाड़ी दोयम	
20			157	1293	00-01-04	बाड़ी दोयम	
21			127	1294	00-04-05	बाड़ी आउल	
22			315/1	1295	00-09-14	बाड़ी दोयम	
23			313	1303	00-07-05	बाड़ी आउल	
24			66	1195	03-16-17	बाड़ी आउल	
25			237	1203	01-07-17	बाड़ी दोयम	
26			239	1377	01-01-03	बाड़ी आउल	
27			131	1379	00-09-14	बाड़ी आउल	
28			146	1380	00-15-02	बाड़ी आउल	

Scanned with CamScanner

			527	2187	00-10-06	बाड़ी दोयम	
			527	2188	01-13-18	बाड़ी आउल	
4			124	2189	00-17-11	बाड़ी आउल	
5			227	2205	03-10-04	बाड़ी आउल	
6			319	2289	00-16-00	बाड़ी आउल	
7			319	2290	00-15-00	बाड़ी आउल	
8				2291			
9			43	2294	01-03-00	बाड़ी आउल	
10			110	2295	01-12-13	बाड़ी आउल	
11			319	2296	00-14-00	बाड़ी आउल	
12			319	2297	00-19-19	बाड़ी आउल	
13			319	2298	00-10-00	बाड़ी आउल	
14			686	2302	00-17-11	बाड़ी आउल	
15			38	2303	00-13-06	बाड़ी आउल	
16			773	2305	01-12-01	बाड़ी आउल	
17			774/4	2306	01-09-01	बाड़ी आउल	
18				2444			
19			666	2446	00-12-04	बाड़ी आउल	
20				2447			
21			761	2456	00-16-00	बाड़ी आउल	
22			761	2457	00-09-00	बाड़ी आउल	
23			774	2458	01-19-19	बाड़ी आउल	
24	पृथ्वीनगर	163	751	2469	00-12-14	बाड़ी दोयम	
25			213	2470	00-19-19	बाड़ी दोयम	
26			133	2471/3100	01-02-08	बाड़ी दोयम	
27			321	2471	00-16-00	बाड़ी दोयम	
28				2481			
29			419	2480	00-10-05	बाड़ी आउल	
30			131	2482	01-10-17	बाड़ी दोयम	
31			506	2483	00-13-06	बाड़ी दोयम	
32			506	2484	00-11-10	बाड़ी दोयम	
33			339	2485	00-12-02	बाड़ी दोयम	
34			531	2487	00-18-03	बाड़ी दोयम	
35			376	2517	01-00-11	बाड़ी दोयम	
36				2516/3120			
37			634	2516	00-07-17	बाड़ी दोयम	
38			265	2522/3139	00-02-08	बाड़ी दोयम	
39			778/5	2521	00-14-00	बाड़ी दोयम	
40			778/5	2522	00-13-00	बाड़ी दोयम	
41			788	2527	03-02-18	बाड़ी दोयम	
42			675	2528	03-03-10	बाड़ी आउल	
43			776	2533	01-12-01	बाड़ी आउल	
44			685	2534	01-02-08	बाड़ी आउल	
45			685	2537	00-11-10	बाड़ी आउल	
46			751	2538	00-10-06	बाड़ी आउल	
47				2541			
				2542			

Scanned with CamScanner

			774	2543	02-09-00	बाड़ी आउल	
[illegible]			774	2544	01-07-17	बाड़ी आउल	
50			783	2545	00-18-00	बाड़ी आउल	
51			783	2545/3126	00-13-00	बाड़ी आउल	
52				2547			
53			133	2548	07-03-08	बाड़ी आउल	
54			319	2561	00-10-00	बाड़ी आउल	
55			110	2562	00-13-06	बाड़ी आउल	
56			703	2563	00-04-05	बाड़ी आउल	
57			43	2564	01-03-00	बाड़ी आउल	
58			554	2568	00-12-02	बाड़ी आउल	
59				2569			
60	पृथ्वीनगर	163	629	2570	00-05-15	बाड़ी आउल	
61			133	2572	01-01-16	बाड़ी दायम	
62				2573			
63				2574			
64			527	2575	01-03-00	बाड़ी आउल	
65			590	2576	01-05-08	बाड़ी आउल	
66			110	2577	02-06-17	बाड़ी आउल	
67				2586			
68				2587			
69			229	2588	01-00-00	बाड़ी आउल	
70			812	2546	02-09-00	रास्ता	
71			812	2518	14-10-08	खतागढ़ा	
72				2518/3142			
73			265	2520/3137	00-02-08	बाड़ी दायम	
74			265	2521/3138	00-02-08	बाड़ी दायम	

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा

हलका पहाड़पुर
मौजा - ... नं- 162
थाना - पाकुड़
जिला - पाकुड़

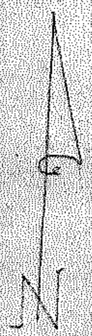

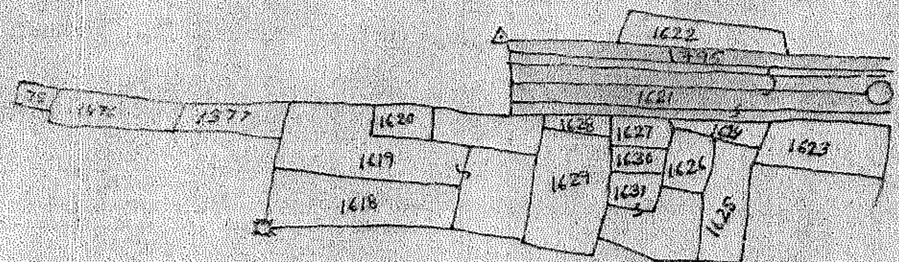

क्र. सं.	खाता सं.	दाग सं.	विवरण
1	645	1622	
2	159	1623	बाड़ी जमीन
3	399	1624	"
4		1627	
5		1628	
6	212	1620	बाड़ी जमीन
7	567/7	1475	बाड़ी जमीन
8	248	1476	बाड़ी जमीन
9		1621	
10	697	162/1595	

22/08/25
अमि. ...

नजरी नक्शा

प्रमात परगना

मौजा - चाँदपुर नं-101

थाना - पाकुड़

जिला - पाकुड़

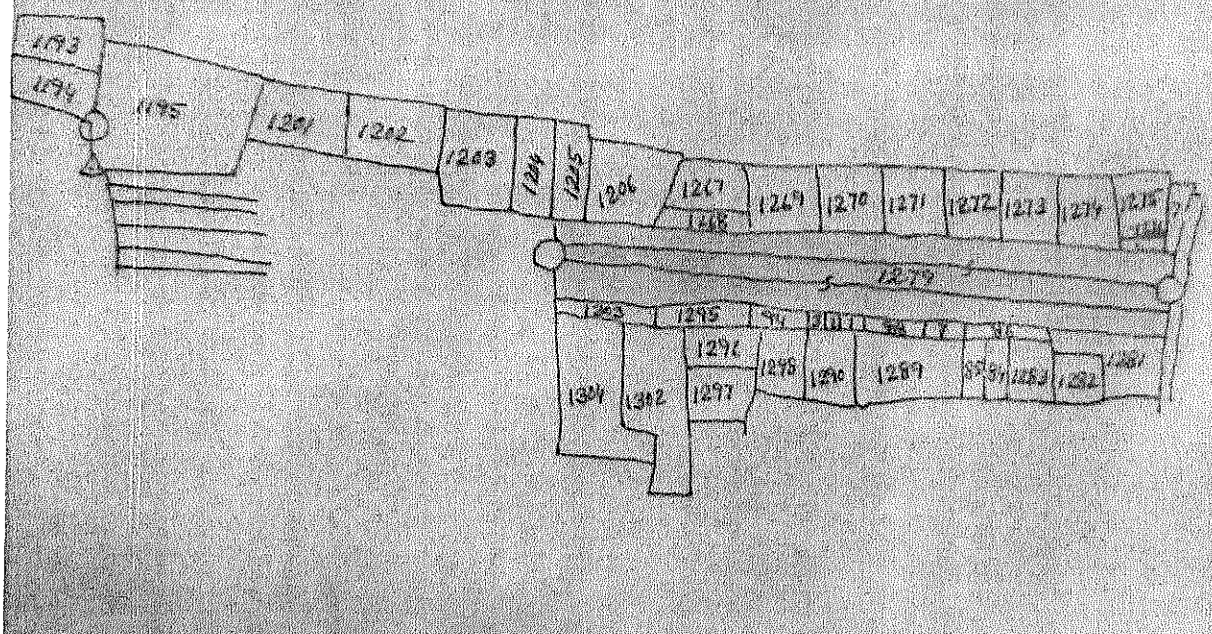

Scanned with CamScanner

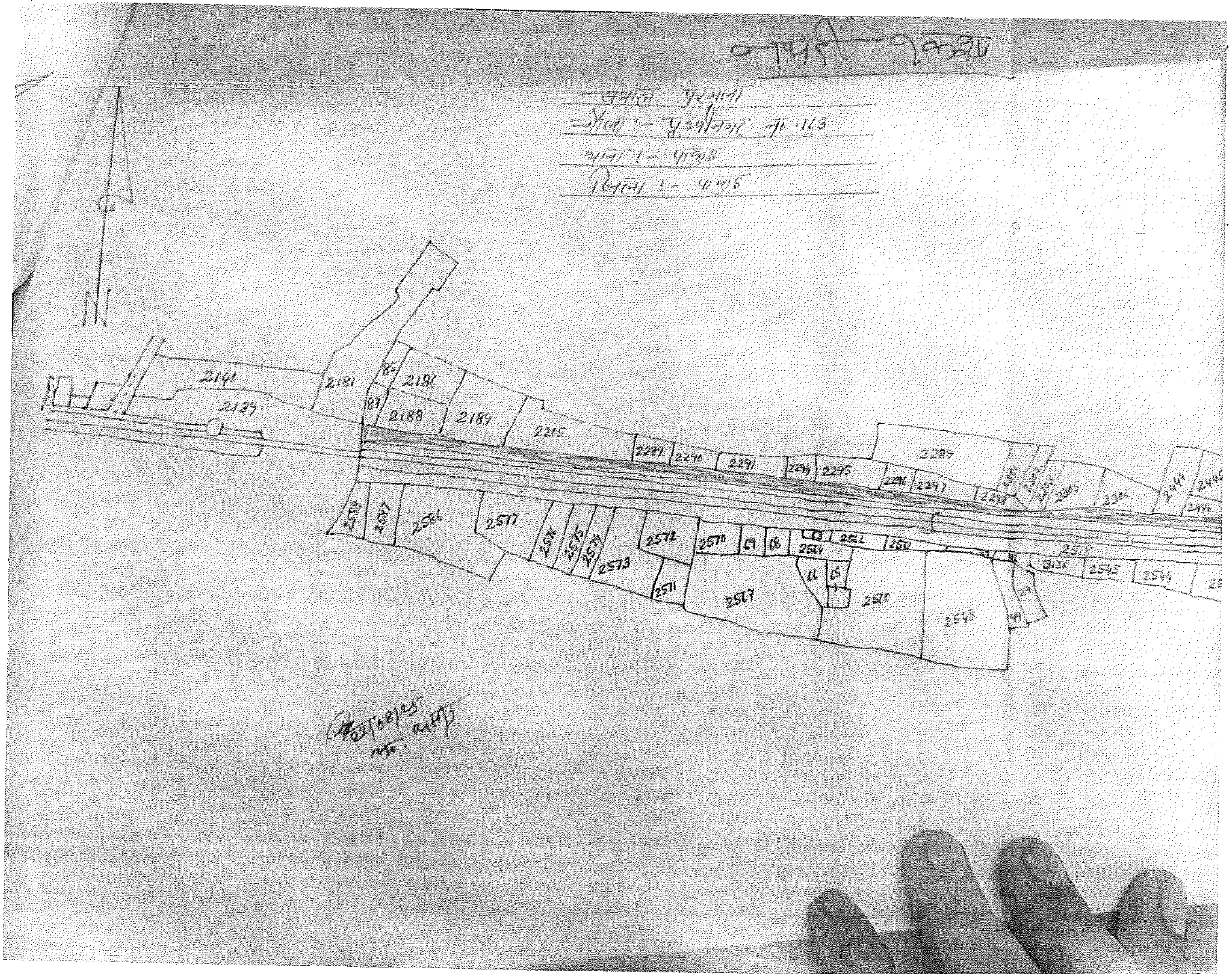

Scanned with CamScanner

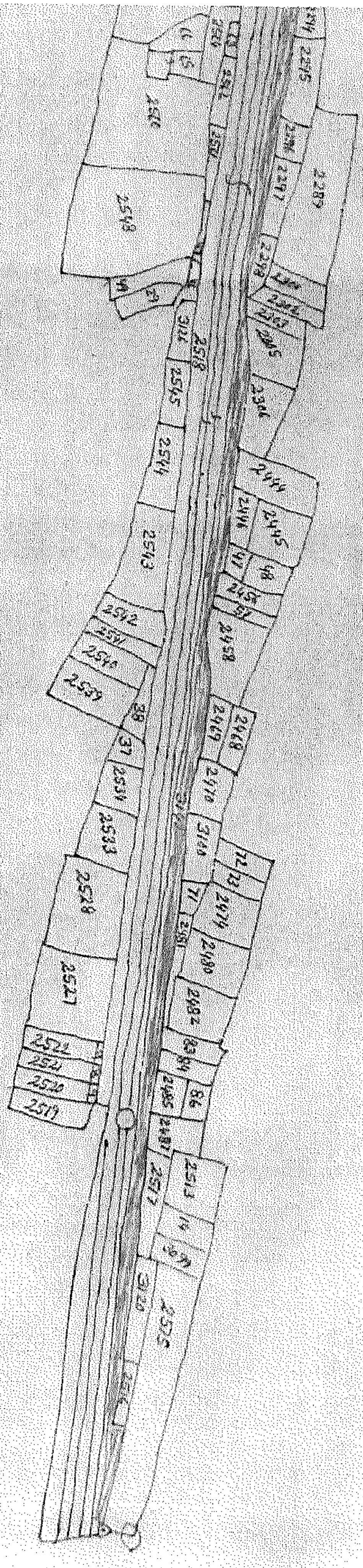

Scanned with CamScanner

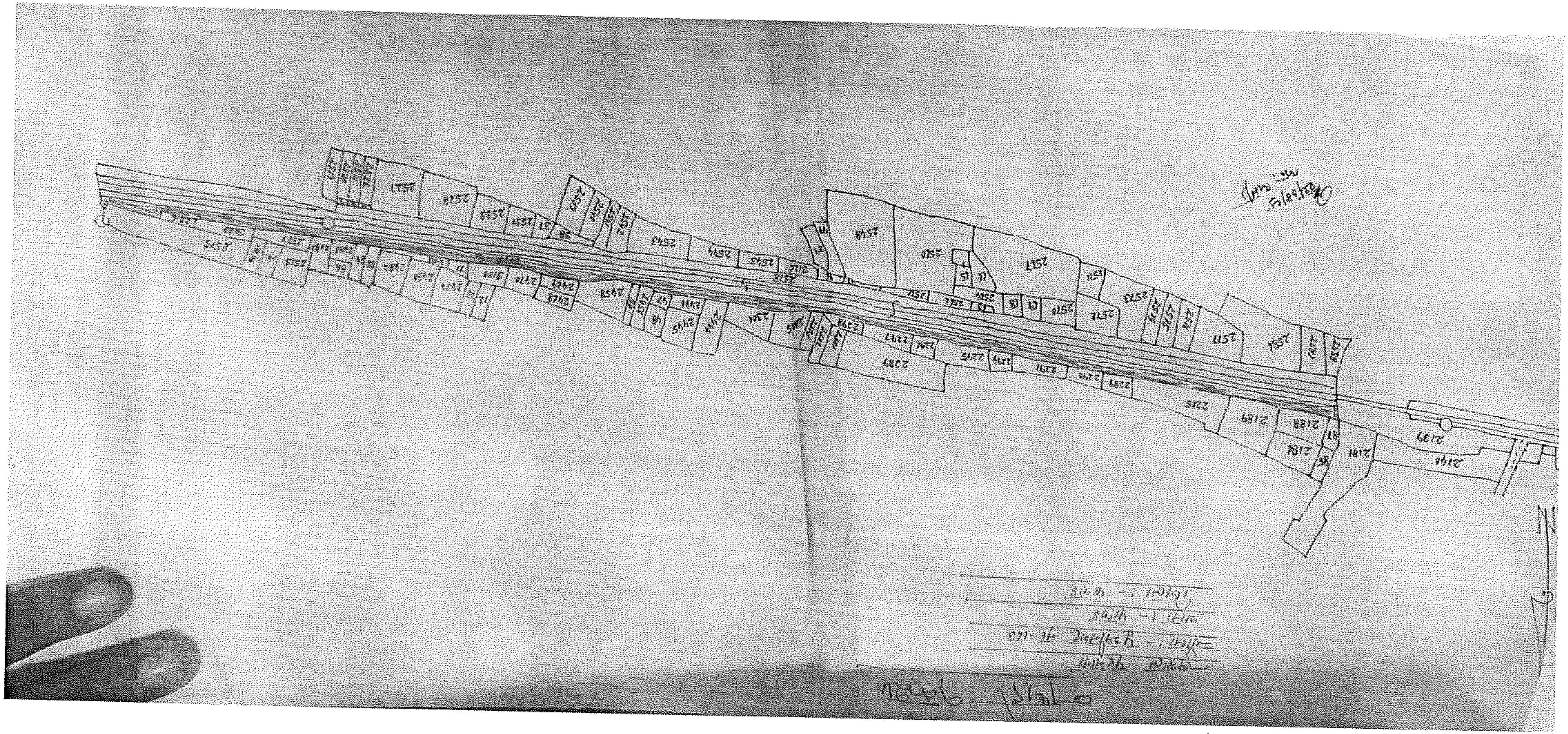

Scanned with CamScanner

अतः भूमि के अवैध कब्जे कारियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना [illegible]
एवं अतिक्रमित भूमि अवैध [illegible] तथा [illegible] कार्यवाही [illegible] है।

अतः उपरोक्त कब्जे कारियों के विरुद्ध [illegible] आदेश पारित कर अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार [illegible] कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जा सकती है।

जाँच प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

आख्या
एस०डी०एम० [illegible] / श्रीमान् [illegible] के द्वारा स्थलीय जाँच किया गया। जाँचोपरान्त सम्बंधित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सभी अतिक्रमणकारियों [illegible] पर्याप्त [illegible] कार्यवाही करना उचित प्रतीत होता है जिसकी संस्तुति की जाती है।

ह० [illegible]
13/10/25

[illegible]
ह० [illegible]
08/X/25
#251-08

1. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ

2. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ

3. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ

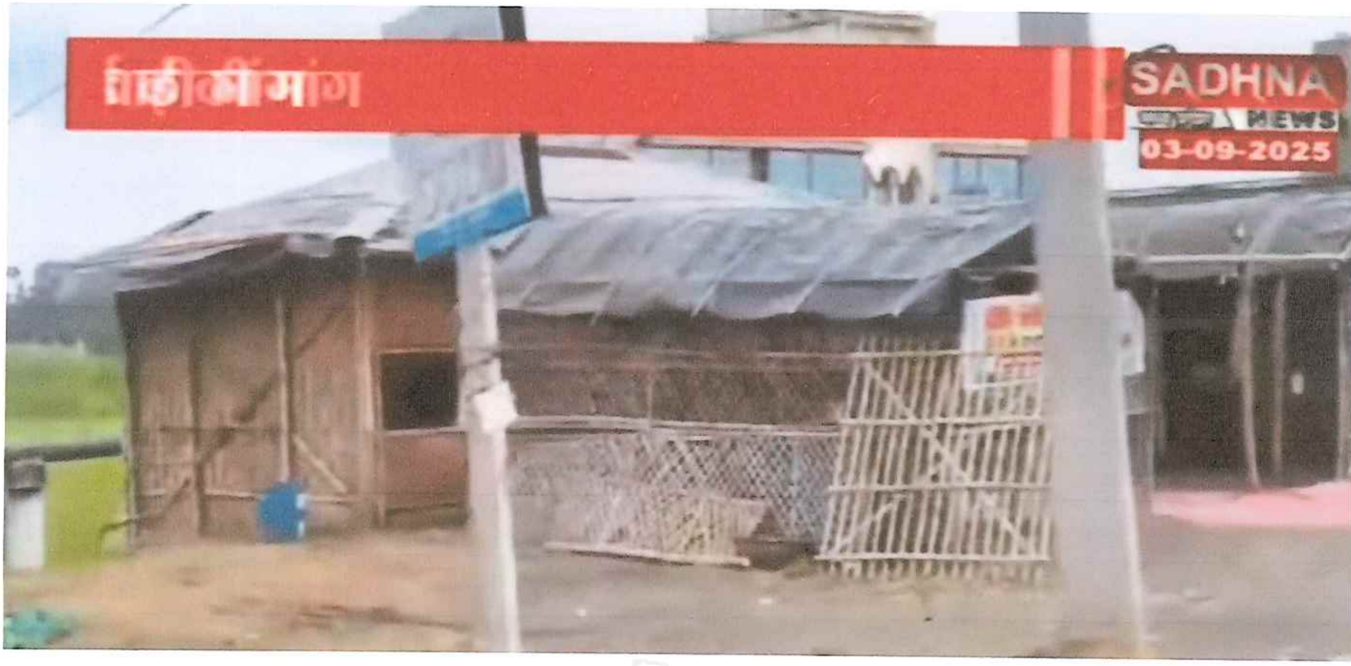

4. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ

5. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ

6. अतिक्रमण स्थल के फोटोग्राफ